



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 596) पटना, शुक्रवार, 18 सितम्बर 2020

सं० 15/एम1-72/2020-1391

शिक्षा विभाग

संकल्प

27 अगस्त 2020

विषय :- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा चयनित वाह्य एजेंसी (TPVA) के एकरारनामा को रद्द करने के फलस्वरूप TPVA के स्थान पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) के माध्यम से आवेदनों के सत्यापन का कार्य कराये जाने एवं सत्यापन के लिए निर्धारित 15 कार्य दिवस के समय-सीमा को बढ़ाकर 30 कार्य दिवस किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दिनांक-02 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के संस्थान एवं पाठ्यक्रम की मान्यता, शिक्षण शुल्क, संस्थान के बैंक खाते की विवरणी आदि के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार निविदा के माध्यम से वाह्य एजेंसी (TPVA) के रूप में Peregrine Guarding Pvt. Ltd., Sco-301, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122002 का चयन कर अगस्त, 2017 में एकरारनामा सम्पन्न किया गया। इस एजेंसी के द्वारा लगभग 1 लाख 38 हजार आवेदनों के सत्यापन का कार्य किया गया। समीक्षा में यह पाया गया कि डॉ० मंडन मिश्र संस्कृत महाविद्यालय, संजात, बेगूसराय से संबंधित आवेदनों के सत्यापन में संस्थान द्वारा एजेंसी को उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर बिना तथ्यों के सत्यता की जाँच किए एजेंसी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसे गंभीर मामला मानते हुए एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा संस्थान को वितरित की गई सूद समेत कुल राशि 1,77,33,587/- (एक करोड़ सतहत्तर लाख तैतीस हजार पाँच सौ सतासी रुपये मात्र) एजेंसी के लंबित भुगतान से वसूली कर निगम को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही एजेंसी के साथ सम्पन्न एकरारनामा को रद्द कर बैंक गारंटी ज़ब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

2. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग तीन हजार आवेदन सत्यापन के लिए लंबित हैं तथा नए आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं। आवेदनों के सत्यापन के लिए पुनः निविदा आमंत्रित कर वाह्य एजेंसी (Third Party Verification Agency) का चयन करने में समय लगने की संभावना है। अतः आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया बाधित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तात्कालिक एवं अंतरिम व्यवस्था के रूप में एजेंसी का चयन होने तक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) के माध्यम से आवेदन के सत्यापन का कार्य किया जाएगा। छात्र/छात्राओं को सहायता देने में कोई विलम्ब न हो, इसलिए BSEIDC के माध्यम से सत्यापन का कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। Covid-19 महामारी को देखते हुए यातायात के माध्यमों का सुगमतापूर्वक संचालित नहीं होने तथा भोजन एवं आवासन की व्यवस्था समुचित तरीके से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आगामी छः माह (31 दिसम्बर) तक राज्य के बाहर के संस्थानों का सत्यापन email के माध्यम से कराए जाने तथा सत्यापन कार्य में होने वाले व्यय का वहन शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही सत्यापन के लिए निर्धारित 15 कार्य दिवस के समय-सीमा को इस अन्तरिम व्यवस्था के लिए शिथिल करते हुए 30 कार्य दिवस किया जाएगा।
- आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरिवर दयाल सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 596-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>